International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 6 Issue 3, March-April 2022 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

शिरोमणि अकाली दल एवं सिख राजनीति

Dr. Sukhwinder Singh

Assistant Professor, Department of Humanities & Social Sciences,
Govt. Engineering College, Jhalawar, Rajasthan, India

ABSTRACT

पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरदार एमपीएस चड्ढा ने कहा कि यह दिल्ली के सिखों का ऐतिहासिक फैसला है। दिल्ली के सिखों को अपनी पार्टी की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अब वह सिख कौम के लिए बिना रुकावट काम कर सकेंगे और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में सेवा भी कर सकेंगे। दिल्ली की सिख राजनीति में एक और पार्टी का नाम जुड़ गया है। इसका नाम शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट रखा गया है। शिरोमणि अकाली दल बादल गुट के सदस्य रहे सिख नेताओं ने ही इस नई पार्टी का गठन किया है। इसमें ज्यादातर सिख नेता दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पदाधिकारी व सदस्य है। प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने खुद इस पार्टी का गठन किया है।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों व दिल्ली के सिखों ने नई पार्टी का ऐलान बृहस्पतिवार को किया। इस दौरान यह भी दावा किया गया कि यह पार्टी सिखों के धार्मिक मामलों के लिए पंथक परंपराओं के मुताबिक काम करेगी। मीडिया से बातचीत में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका पार्टी के मुख्य संरक्षक चुने गए हैं।

इस मौके पर हरमीत सिंह कालका ने बताया कि सरदार एमपीएस चड्ढा शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट पार्टी के प्रधान चुने गए हैं। वरिष्ठ नेता सरदार भजन सिंह वालिया और सरदार हरविंदर सिंह केपी को पार्टी के संरक्षक के तौर पर चुना गया है। कालका ने यह भी कहा कि यह पार्टी श्री अकाल तख्त साहिब के संरक्षण में पंथक परंपराओं के अनुसार काम करेगी।

नई पार्टी बनानेका उद्देश्य

हरमीत सिंह कालका ने नई पार्टी गठित करने के संबंध में बताया कि अकाली दल बादल गुट के मौजूदा नेतृत्व ने पंथ का भरोसा गंवा दिया है। इसका सबूत पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। उन्होंने कहा कि लीडरशिप उसके खिलाफ लगे बेअदबी और अन्य आरोपों के बारे अपना पक्ष रखने तक में नाकाम रही है। यहीं वजह है कि बेअदबी के दोषियों को सजा तक नहीं मिली।

How to cite this paper: Dr. Sukhwinder Singh "Shiromani Akali Dal and Sikh Politics" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-3, April 2022, pp.2005-2013, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd49892.pdf

IJTSRD49892

Copyright © 2022 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

परिचय

दिल्ली कासिखों का ऐतिहासिक फैसला

पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरदार एमपीएस चड्ढा ने कहा कि यह दिल्ली के सिखों का ऐतिहासिक फैसला है। दिल्ली के सिखों को अपनी पार्टी की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अब वह सिख कौम के लिए बिना रुकावट काम कर सकेंगे और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में सेवा भी कर सकेंगे। इस दौरान आत्मा सिंह लुबाणा, भुपिंदर सिंह भुल्लर, सरवजीत सिंह विरक, विक्रम सिंह रोहनी, एमपीएस चड्ढा, सुरजीत सिंह जीती, अमरजीत सिंह पिंकी, अमरजीत सिंह पप्पू, परविंदर सिंह लक्की, जुझार सिंह, भजन सिंह वालिया, ओंकार सिंह राजा, जसमीर सिंह मसी, दलजीत सिंह सरना, रमीत सिंह, स्मार्टी चड्ढा और गुरमीत सिंह टिंकू और नेतृत्व के समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कोर कमटी का किया गठन

पार्टी गठित करने के साथ ही एक कोर कमेटी का भी गठन किया गया। पांच सदस्यीय यह कमेटी संगठन को मजबूत करेगी। 10 दिनों के भीतर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तब तक पार्टी को चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। इस कमेटी में आत्मा सिंह लुबाणा, बलबीर सिंह विवेक विहार, अमरजीत सिंह पप्पू, अमरजीत सिंह पिंकी और हरविंदर सिंह केपी को शामिल किया गया है।

यूथ विंग का किया गया गठन

शिरोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट पार्टी की यूथ विंग भी होगी। पार्टी के गठन के बाद यूथ विंग की घोषणा की गई। इसकी जिम्मेदरी रमनदीप सिंह थापर, सतबीर सिंह गगन और मनजीत सिंह औलख को सौंपी गई है। यूथ विंग छात्र चुनाव लड़ेगी।

चुनाव लड़ने वाले छात्रों के विंग का गठन रमनजोत सिंह मीता और गुरदेव सिंह को सौंपी गई है। इसके साथ ही पार्टी की मजबूती के लिए एक महिला विंग टीम होगी। बीबी भुपिंदर कौर, बीबी बलजीत कौर, बीबी परमजीत कौर गुड्डी, बीबी मनजीत कौर गोविंदपुरी, बीबी मनजीत कौर लारेंस रो□ और बीबी सूरबीर कौर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विपक्ष नाक्रा कमजोर हुई पार्टी

विपक्षी पार्टियों ने नई पार्टी के गठन को कमजोर बताया है। कहा है कि 30 सदस्यीय दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नई पार्टी के गठन से सिमट गई है। अब उनके पास महज 26 सदस्य रह गए है। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल बादल गुट में 4 सदस्यों ने नई पार्टी में शामिल नहीं हुए। इसमें हरविंदर सिंह केपी, महिंदर पाल सिंह चड्ढा, गुरप्रीत सिंह जस्सा और शिरोमणी कमेटी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी शामिल है। इससे साफ हो गया है कि कालका की पार्टी में अब 26 सदस्य हैं। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल दिल्ली सरना गुट, जागो पार्टी व अन्य विपक्षी पार्टी के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की संख्या 25 है।

सिरसा की भूमिका कम नहीं

सिख राजनीति के जानकारों की माने तो सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पर्दे के पीछे राजनीतिक बिसात बिछा रहे है। भाजपा में शामिल होने के बाद सिरसा ने अपने समर्थकों से नई पार्टी गठित करने की चर्चा की। बतौर राजनीतिक सलाहकार की भूमिका में सिरसा ने सिख नेताओं को संगठित कर नई पार्टी बनाने में सहयोगी भूमिका में रहे। [1]

विचार-विमर्श

7 जुलाई 2020 को, सुखदेव सिंह ढींसा , सेवा सिंह सेखवां , शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि अकाली दल (टकसाली) के कई और नेताओं के साथ लुधियाना के एक गुरुद्वारे में आए और शिरोमणि अकाली दल (लोकतांत्रिक) का गठन किया और सुखदेव सिंह ढींसा को बनाया । अकाली दल लोकतांत्रिक के नए अध्यक्ष। नई पार्टी का नाम पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह शिरोमणि अकाली दल (लोकतांत्रिक) होगी ।

उन्होंने कहा कि यह असली अकाली दल है, और दूसरे तथाकथित अकाली दल के पीछे एक "(बादल)" है। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव आयोग को पार्टी के चुनाव चिन्ह को बादल की पार्टी के समान वजनदार बनाने के लिए दबाव □ालेगी, वे भाजपा को बादल के साथ गठबंधन तोड़ने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अपनी पार्टी को जोड़ने के लिए भी प्रेरित करेंगे ।

इस विवाद के चलते ढींसा और बादल दोनों को अध्यक्ष पद से हटाने से समर्थकों के बीच आग लग जाएगी और अकाली विवाद और गहरा सकता है। तो अकाली पार्टी सहित किसी भी अनुच्छेद में बादल या ढींसा को भी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में शामिल करना होगा। दलजीत चीमा ने इस कदम को गैर-लोकतांत्रिक और धोखाधड़ी और चोरी कहा है, हालांकि किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया ... सिमरनजीत मान के अलावा सभी गुट एक साथ आते हैं और एक मजबूत तीसरा मोर्चा बनाते हैं।

पहले तो सभी को लगा कि यह मजाक है, उन्होंने कहा कि जब वे बीड़ी करते हैं तो वे सभी बादल के साथ खड़े होते हैं, लेकिन बाद में लोक इंसाफ पार्टी ने स्वीकार किया कि वे बातचीत कर रहे हैं। कई राजनीतिक दल और परिवार उनके गुट के साथ जुड़ गए हैं, यूनाइटे□ अकाली दल का 25 जुलाई, 2020 को पार्टी में विलय हो गया, संधू और तलवं□ी परिवार का पार्टी में विलय हो गया, और इसी तरह कई और राजनेता भी हैं। अब, अपने शिरोमणि अकाली दल (लोकतांत्रिक) और पूर्व लोकसभा सदस्य रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल (टकसाली) के विलय के बाद राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींसा द्वारा गठित शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त)। [2]

परिणाम

1. दो राजनीतिक दलों द्वारा दायर दो रिट याचिकाएं; (i) शिरोमणि अकाली दल (सिमरनजीत सिंह मान) (1993 का CWP नंबर 4091) और (ii) शिरोमणि अकाली दल (बादल) (CWP No. 4587 of 1993) को पूर्ण बेंच द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था, जैसा कि सामान्य पर्याप्त था इसमें कानून का सवाल शामिल है।

2. अंतरिम राहत प्रदान करने के संबंध में मतभेद था कि मामला किसी अन्य न्यायाधीश को भेजा गया था। अब अंतिम सुनवाई में हमें चुनाव स्थगित करने की अंतरिम राहत प्रदान करने से संबंधित मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है।

3. व्यापक तथ्य शिरोमणि अकाली दल (सिमरनजीत सिंह मान) द्वारा दायर 1993 की सी□ब्ल्यूपी संख्या 4091 से लिए गए हैं। याचिकाकर्ता-पक्ष को चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (बाद में 'प्रतीक आदेश' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के प्रावधानों के तहत उप चुनाव आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 नवंबर, 1992 के तहत अमान्य कर दिया गया था। निर्देश है कि पूर्वोक्त पार्टी पंजाब राज्य में इसके लिए पहले आरक्षित प्रतीक "शेर" के अनन्य उपयोग के लिए हकदार नहीं होगी। कहा कि राजनीतिक दल को तब तक गैर-मान्यता प्राप्त माना जाना चाहिए जब तक कि अगले आम चुनाव में उसके चुनाव प्रदर्शन की फिर से समीक्षा नहीं की जाती है और जब आयोजित किया जाता है। फरवरी 1992 में हुए पिछले आम चुनावों में इस राजनीतिक दल का चुनावी प्रदर्शन शून्य रहा। शिरोमणि अकाली दल (बादल) द्वारा दायर अन्य रिट याचिका में इसी आशय का आदेश उप चुनाव आयुक्त द्वारा 20 नवंबर, 1992 को पारित किया गया था। इस मामले में उपरोक्त आदेश की वैधता के अलावा सामान्य आधार पर चुनौती दी जा रही है। यह भी कहा कि आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। आरोपों के अनुसार याचिकाकर्ता को कार्यवाही में तामील नहीं किया गया/विधिवत तामील नहीं किया गया।

4. याचिका में उठाए गए विवादास्पद बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उस पृष्ठभूमि का संदर्भ दिया जाना चाहिए जिसके कारण राजनीतिक दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके परिणाम को प्रतिवादी-चुनाव आयुक्त ने शून्य प्रदर्शन के रूप में माना। आरोपों के अनुसार, ये राजनीतिक दल पंजाब राज्य में विधानसभा चुनावों में भाग ले रहे थे, जो जून, 1991 में होने वाले थे। चुनावी प्रक्रिया के दौरान अंतिम समय में लगभग 30 उम्मीदवारों की मौत हो गई थी, जब केवल मतदान होना था।

और चुनाव प्रचार आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था चुनाव रद्द कर दिया गया था। पूर्वोक्त याचिकाओं में आरोपित रद्द करने का कारण यह था कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई थी और चूंकि वह पार्टी पंजाब चुनाव में भाग नहीं ले रही थी, इसे स्थगित कर दिया गया और फरवरी 1992 में आयोजित किया जाना था। फरवरी, 1992 तक पंजाब की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था, सिवाय इसके कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में भाग लेने का फैसला किया था। चूंकि कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि यदि याचिकाकर्ता पक्ष भाग लेंगे तो चुनाव अंततः होंगे, याचिकाकर्ता-पार्टियों ने चुनावों का बहिष्कार किया और उम्मीद की कि इस तरह के चुनाव उनकी गैर-भागीदारी के लिए नहीं होंगे। इस तरह पंजाब के लोगों के साथ जून 1991 में होने वाले चुनावों में गंदगी की तरह व्यवहार किया गया जिसे केंद्र ने रद्द कर दिया। इसलिए याचिकाकर्ता राजनीतिक दलों के लिए फरवरी, 1992 के लिए निर्धारित चुनाव लड़ने और फिर से मूर्ख बनाए जाने का कोई कारण नहीं था। फरवरी 1992 में हुए चुनावों में अस्सी प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान से परहेज किया। इस प्रकार 20% का जनादेश 80% के निर्णय पर कैसे भारी पड़ सकता है। पूरे चुनाव में धांधली एक तमाशा और दिखावा था। ऐसे चुनाव के आधार पर याचिकाकर्ताओं जैसे राजनीतिक दलों का प्रदर्शन वैध नहीं था। प्रतीक आदेश के पैरा 6 और 7 के प्रावधानों को खराब और अमान्य होने के कारण अपर्याप्त बताया गया क्योंकि यह विचार नहीं किया गया था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि राजनीतिक दल / दल चुनाव में भाग लेने से परहेज करेंगे। जून, 1991 में निर्धारित चुनावों को स्थगित करके पंजाब के लोगों को एक सवारी के लिए ले जाया गया। उस प्रक्रिया में कई उम्मीदवार मारे गए, बिना कुछ लिए करोड़ों रुपये भेजे गए। प्रतीक आदेश के पैरा 6 और 7 के प्रावधानों को खराब और अमान्य होने के कारण अपर्याप्त बताया गया क्योंकि यह विचार नहीं किया गया था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि राजनीतिक दल / दल चुनाव में भाग लेने से परहेज करेंगे। जून, 1991 में निर्धारित चुनावों को स्थगित करके पंजाब के लोगों को एक सवारी के लिए ले जाया गया। उस प्रक्रिया में कई उम्मीदवार मारे गए, बिना कुछ लिए करोड़ों रुपये भेजे गए। प्रतीक आदेश के पैरा 6 और 7 के प्रावधानों को खराब और अमान्य होने के कारण अपर्याप्त बताया गया क्योंकि यह विचार नहीं किया गया था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि राजनीतिक दल / दल चुनाव में भाग लेने से परहेज करेंगे। जून, 1991 में निर्धारित चुनावों को स्थगित करके पंजाब के लोगों को एक सवारी के लिए ले जाया गया। उस प्रक्रिया में कई उम्मीदवार मारे गए, बिना कुछ लिए करोड़ों रुपये भेजे गए।[3]

5. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उक्त दो रिट याचिकाओं में लिखित बयान दाखिल किया गया है। प्रतिवादी ने याचिकाओं का जोरदार विरोध किया। याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया गया है। जून 1991 में चुनाव स्थगित करने के आदेश के संबंध में, यह कहा गया था कि उपरोक्त आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में असफल रूप से चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1968 के प्रतीक आदेश के प्रावधानों को वैध माना गया था। अपर्याप्तता के आधार पर ऐसे प्रावधान खराब नहीं थे। चुनाव कानून, प्रतीक आदेश, 1968 के प्रावधानों सहित, उस स्थिति/स्थितियों की कल्पना करता है जहां एक बार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मान्यता दी जा सकती है, यदि वे निर्धारित अनुसार आम चुनावों में न्यूनतम संख्या में सीटें या वोट हासिल करने में विफल रहे हैं।

6. मुख्य प्रश्न जिस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस की गई है, वह निम्नानुसार तैयार किया गया है:-

"1968 के प्रतीक आदेश के प्रावधानों में ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की गई थी जहां एक या अधिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चुनावों का बहिष्कार करेंगे या दूसरे शब्दों में चुनाव में भाग नहीं लेंगे और केवल उस आधार पर ऐसे राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं दी जा सकती है। प्रतीक आदेश, 1968 में अपवाद या प्रावधान के रूप में प्रावधान होना चाहिए था कि यदि कुछ वैध कारणों से कोई राजनीतिक दल या दल चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द नहीं की जाएगी।"

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रंजन लखनपाल और श्री एच.एस. मतेवाल ने जोरदार तर्क दिया है कि एक अजीबोगरीब स्थिति मौजूद थी जब अचानक जून, 1991 में चुनाव होने वाले थे कि इसे स्थगित कर दिया गया था, जैसा कि एक दिन पहले केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। चूंकि कांग्रेस पार्टी पंजाब राज्य में चुनावों में भाग नहीं ले रही थी, इसलिए चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। इस तरह पंजाब के लोगों को ठगा गया। याचिकाकर्ताओं-राजनीतिक दलों द्वारा बाद में घोषित चुनावों का बहिष्कार करने के ये वैध कारण थे। इस तरह की प्रस्तुतियों से उत्पन्न कानूनी तर्कों की सराहना करने के लिए संविधान के प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लेख करना आवश्यक है।, 1951, और 1968 का प्रतीक आदेश। चुनाव आयोग संवैधानिक इकाई है। संविधान का अध्याय XV विशेष रूप से चुनाव के विषय से संबंधित है। कला के तहत । 324 , निर्वाचक नामावली की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण और संसद और राज्यों के विधान मं□लों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के सभी चुनावों के संचालन को एक चुनाव आयोग में निहित करना है। ऐसा आयोग कला के तहत गठित किया गया है। 324(2). मुख्य चुनाव आयोग को चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है। राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श के बाद, चुनाव आयोग की सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाती है। कला। 325 और 326 मतदाता सूची तैयार करने का संदर्भ देते हैं। नीचेकला। 327 संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमं□ल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित या उसके संबंध में समय-समय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ऐसे मामले जिन पर कानून बनाया जा सकता है, उनमें मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सदन या सदनों के उचित संविधान को हासिल करने के लिए आवश्यक अन्य मामले शामिल हैं। राज्य सरकार राज्य के विधानमं□ल के सदन या सदनों के चुनाव के संबंध में भी ऐसे कानून बना सकती है, कला के तहत। 328. कला। 329 चुनाव मामलों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को रोकता है और यह निम्नानुसार पढ़ता है:-

"329. चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक :- इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी:-

(ए) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता, कला के

तहत बनाई गई या बनाई जाने वाली। 327 या कला। 328 , किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा;

(बी) संसद के किसी भी सदन या सदन या किसी राज्य के विधानमं□ल के किसी भी सदन के लिए कोई चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत चुनाव याचिका और इस तरह से किसी के द्वारा या उसके तहत प्रदान किया जा सकता है उपयुक्त विधानमं□ल द्वारा बनाया गया कानून।"

8. संविधान के उपरोक्त प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के संबंध में चुनाव आयोग की शक्तियों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। इस तरह के नियंत्रण के अभ्यास में चुनाव आयोग आदेश जारी करने के लिए सक्षम है। ऐसे आदेश संविधान के अन्य प्रावधानों या संसद या राज्य विधानमं□ल द्वारा बनाए गए कानूनों के उल्लंघन में नहीं हो सकते। उपरोक्त दो अपवादों को छोड़कर चुनाव के संचालन पर चुनाव आयोग का पूर्ण नियंत्रण होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संसद के साथ-साथ पुरानी विधानसभाओं के चुनावों के संचालन के संबंध में एक पूर्ण संहिता है। इस अधिनियम के एस 29ए में चुनाव आयोग के संघों और निकायों के साथ राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकरण करने का प्रावधान है। इस तरह के एक संघ को उप-धारा के तहत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को आवेदन करने की आवश्यकता है। (मैं) उसके। उप-सेकं□। (2) ऐसे संघों या निकायों पर विचार करता है जो लोगों के प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम के प्रारंभ में अस्तित्व में थे, 1988 इस तरह के शुरू होने से 60 दिनों के भीतर और उसके गठन की तारीख के बाद 30 दिनों के भीतर उसके बाद गठित संघों या निकायों के लिए ऐसा आवेदन करने के लिए। अन्य आवश्यक विवरण जिनका ऐसे आवेदनों में उल्लेख किया जाना आवश्यक है, उप-भाग के अंतर्गत दिए गए हैं। (4). उन सभी आवश्यक विवरणों पर विचार करने के बाद जिन्हें धारा 29ए की उप-धारा (4) और (5) के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक हैया ऐसे विवरण जो अन्यथा प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, और आवश्यक और प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद आयोग को यह तय करना है कि टीसी एसोसिएशन को एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करें या नहीं रजिस्टर करने के लिए। आयोग का निर्णय अंतिम होगा जैसा कि उप-धारा के तहत प्रदान किया गया है। (8) उसके। अधिनियम का भाग V चुनाव के संचालन से संबंधित प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताता है। चुनाव आयोग द्वारा एस. 30 के तहत नामांकन आदि की तारीखें तय करने के तहत एक अधिसूचना जारी करना आवश्यक है, जो चुनाव प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। अंतत: परिणाम की घोषणा की अधिसूचना के साथ चुनाव प्रक्रिया एस 67 के तहत आवश्यकतानुसार पूरी की जाती हैअधिनियम का। किसी चुनाव को संविधान के भाग VI के अध्याय III के तहत दिए गए आधार पर और निर्धारित तरीके से चुनौती दी जा सकती है और किसी अन्य तरीके से नहीं। जब पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव की घोषणा की जाती है कि चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 चुनाव आयोग द्वारा संसद और विधानसभा चुनावों में चुनाव में विनिर्देश, आरक्षण, पसंद और आवंटन के लिए और साथ ही उसके संबंध में राजनीतिक दल की मान्यता के लिए जारी किया गया है। उससे जुड़े मामलों के लिए। 1968 के आदेश का पैरा 2 (एच) राजनीतिक दल को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है एक राजनीतिक दल के रूप में आयोग के साथ पंजीकृत व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का एस 29ए । पैरा 3 आयोग को गैर राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त विवरण प्रदान करता है। पैरा 5 प्रतीक के वर्गीकरण का प्रावधान करता है अर्थात या तो आरक्षित या मुक्त। पैरा 5 का उप-पैरा (2) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए उस पार्टी द्वारा खड़े किए गए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को विशेष आवंटन के लिए आरक्षित प्रतीक प्रदान करता है। एक मुक्त प्रतीक एक आरक्षित प्रतीक के अलावा एक प्रतीक है। पैरा 6 में राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का प्रावधान है और पैरा 7 में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की दो श्रेणियों का प्रावधान है। चूंकि वर्तमान मामले में तर्क पैरा 6 और 7 से संबंधित है, इसलिए उन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"6 राजनीतिक दलों का वर्गीकरण (1) .....

(2) एक राजनीतिक दल को एक राज्य में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाएगा, यदि और केवल यदि या तो C। में निर्दिष्ट शर्तें। (ए) हैं, या सीएल में निर्दिष्ट शर्त। (बी) उस पार्टी द्वारा पूरा किया जाता है और अन्यथा नहीं, अर्थात्:-

(ए) कि ऐसी पार्टी

(ए) लगातार पांच साल की अवधि के लिए राजनीतिक गतिविधियों में लगा हुआ है और

(बी) उस राज्य में आम चुनाव में, लोक सभा के लिए, या, जैसा भी मामला हो, विधान सभा के लिए, वर्तमान में अस्तित्व में है और कार्य कर रहा है :- (i) कम से कम एक उस सदन के प्रत्येक पच्चीस सदस्यों या उस राज्य से निर्वाचित उस संख्या के किसी अंश के लिए लोक सभा का सदस्य; "या" (ii) उस विधानसभा के प्रत्येक तीस सदस्यों या उस संख्या के किसी भी अंश के लिए उस राज्य की विधान सभा में कम से कम एक सदस्य;

(बी) कि राज्य में आम चुनाव में उस पार्टी द्वारा खड़े किए गए सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा वैध मतों की कुल संख्या, या जैसा भी मामला हो, विधान सभा में उस समय के लिए अस्तित्व और कार्यप्रणाली (एक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के वैध मतों को छोड़कर जो निर्वाचित नहीं हुआ है और उस निर्वाचन क्षेत्र में सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा □ाले गए वैध मतों की कुल संख्या का कम से कम एक-बारहवाँ हिस्सा नहीं है) कम नहीं है राज्य में ऐसे आम चुनाव में लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों द्वारा □ाले गए वैध मतों की कुल संख्या के चार प्रतिशत से अधिक (उन उम्मीदवारों के वैध मतों सहित, जिन्होंने अपनी जमा राशि जब्त कर ली है)।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि Cl. (ए) या (बी) के उप-पैरा (2) को किसी राजनीतिक दल द्वारा पूरा किया गया नहीं माना जाएगा यदि लोक सभा या राज्य की विधानसभा का कोई सदस्य उस राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है उस सदन के लिए या, जैसा भी मामला हो, उस विधानसभा के लिए उसका चुनाव।"

"7. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की दो श्रेणियां:- (1) यदि किसी राजनीतिक दल को चार या अधिक राज्यों में अनुच्छेद 6 के अनुसार एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है, तो इसे कहा जाएगा, और होगा और स्थिति का आनंद लेगा पूरे भारत में एक "राष्ट्रीय दल"; और यदि किसी राजनीतिक दल को चार से कम राज्यों में उस पैराग्राफ के अनुसार एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है, तो इसे राज्य या राज्यों में के रूप में जाना जाएगा, और होगा जो एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है।

(2) उप-अनुच्छेद (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, प्रत्येक राजनीतिक दल जो इस आदेश के शुरू होने से ठीक पहले एक बहु-राज्यीय दल है, ऐसे शुरू होने पर, एक राष्ट्रीय पार्टी होगी और तब तक बनी रहेगी जब तक कि यह समाप्त नहीं हो जाती। ऐसे प्रारंभ के बाद हुए किसी भी आम चुनाव के परिणाम पर एक राष्ट्रीय पार्टी बनें।

(3) उप-अनुच्छेद (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, प्रत्येक राजनीतिक दल जो इस आदेश के शुरू होने से ठीक पहले एक राज्य में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, एक बहु-राज्यीय दल के अलावा, जैसा कि पूर्वोक्त है, ऐसे प्रारंभ पर, उस राज्य में पार्टी का राज्य है और ऐसा तब तक बना रहेगा जब तक कि उस राज्य में ऐसे प्रारंभ के बाद हुए किसी भी आम चुनाव के परिणाम पर राज्य में एक पार्टी नहीं रह जाती है।

9. आदेश के पैरा 8 में राष्ट्रीय और राज्य दलों के उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों के चुनाव और उनके आवंटन का प्रावधान है। उप-पैरा (1) के तहत एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को उस पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक के आवंटन के लिए पहली पसंद दी जाती है और कोई अन्य प्रतीक नहीं। इसी तरह उप-पैरा (2) राज्य में पार्टी के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए राज्य पार्टी द्वारा खड़े उम्मीदवारों को विकल्प देता है और कोई अन्य प्रतीक नहीं। पैरा 12 अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों के चुनाव और उसके आवंटन को संदर्भित करता है। पैरा 18 निर्देश और निर्देश जारी करने के लिए आयुक्त की शक्तियों को संदर्भित करता है। यह इस प्रकार पढ़ता है:--

"18. निर्देश और निर्देश जारी करने की आयोग की शक्ति: आयोग निर्देश और निर्देश जारी कर सकता है:-

(ए) इस आदेश के किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के लिए;[4]

(बी) ऐसे किसी प्रावधान के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए; और

(सी) आरक्षण और प्रतीकों के आवंटन और राजनीतिक दलों की मान्यता के संबंध में किसी भी मामले के संबंध में, जिसके लिए यह आदेश कोई प्रावधान नहीं करता है या अपर्याप्त प्रावधान करता है, और प्रावधान सुचारू और व्यवस्थित के लिए आवश्यक है आयोग की राय में चयन का संचालन।"

10. पूर्वोक्त आदेश का पैरा 6 आयोग को यह निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करता है कि जब कभी आवश्यक हो कि राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। एक राजनीतिक दल, जैसा कि उप-पैरा (2) में प्रदान किया गया है, को राज्य में एक मान्यता प्राप्त पार्टी के रूप में माना जाना चाहिए, यदि और केवल उस पार्टी द्वारा पूरा किया गया हो और अन्यथा नहीं। (आदेश में निर्दिष्ट शर्तें - ए I) एक राजनीतिक दल के लिए क्लॉज (ए) के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताएं तीन हैं: (i) ऐसे राजनीतिक दल की लगातार पांच साल की अवधि के लिए सगाई, खं (ए) में निर्धारित पूर्वोक्त शर्तें ऐसे राजनीतिक दल के सदस्यों के लोगों के घर के चुनाव को संदर्भित करती हैं खं (बी) ऐसी पार्टी द्वारा खड़े सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के वैध वोटों की संख्या को संदर्भित करती है। विधानसभा के आम चुनाव वर्तमान में अस्तित्व में हैं और कार्य कर रहे हैं और राज्य में आम चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों द्वारा ाले गए वैध मतों की कुल संख्या के 4 प्रतिशत से कम नहीं हैं। इस प्रकार यह खं मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा सुरक्षित किए जाने के लिए आवश्यक वोटों की न्यूनतम संख्या को संदर्भित करता है। पैरा 7 के उप-पैरा (3) में प्रावधान है कि जब कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ऐसा नहीं रहेगा। इससे पता चलता है कि आम चुनाव होने के बाद राजनीतिक दलों की मान्यता और मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करनी होती है।

11. 1968 के प्रतीक आदेश के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने कन्हिया लाल उमर बनाम आरके त्रिवेदी , एआईआर 1986 एससी 111 में पहले ही बरकरार रखा है। सादिक अली बनाम सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए । भारत निर्वाचन आयोग , एआईआर 1972 एससी 187, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:-

"चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उनके बीच या राजनीतिक दल के भीतर अलग-अलग समूहों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने का अधिकार है। इसे प्रतीक आदेश जारी करने का भी अधिकार है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जब आयोग ने प्रतीक आदेश जारी किया तो यह अपनी ओर से नहीं बल्कि किसी अन्य प्राधिकरण के प्रतिनिधि के रूप में ऐसा कर रहा था। प्रतीक आदेश जारी करने की शक्ति आयोग में निहित चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति में समझी जाती है।"

12. यह देखा गया कि प्रतीक आदेश, 1968 के प्रावधान संवैधानिक रूप से वैध थे क्योंकि आयोग ने कला के तहत अपनी शक्ति प्राप्त की थी। संविधान के 324(1) . पूर्वोक्त अनुच्छेद उन क्षेत्रों में संचालित होता है जो विधान द्वारा खाली छोड़ दिए गए हैं और शब्द "अधीक्षण", "दिशा" और "नियंत्रण" के साथ-साथ "सभी चुनावों का संचालन" शब्द व्यापक शब्द हैं जिनमें ऐसे सभी प्रावधान करने की शक्ति शामिल है। मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली , एआईआर 1978 एससी 851 और एसी जोस बनाम सिवन पिल्लई , एआईआर 1984 एससी 921 में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों पर भरोसा किया गया था। कन्हैया लाल के मामले (सुप्रा) में सामान्य आदेश और विशिष्ट आदेश पारित करने के संबंध में पैरा 17 में निम्नानुसार देखा गया:

"यह एक विशिष्ट या एक सामान्य आदेश हो सकता है। किसी को यह भी याद रखना होगा कि इस मामले में शक्ति का स्रोत संविधान है, देश का सर्वोच्च कानून, जो सभी कानूनी शक्तियों का भं□ार और स्रोत है और किसी भी शक्ति द्वारा प्रदान की गई शक्ति है। एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए संविधान का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि जिस उद्देश्य के लिए शक्ति प्रदान की गई है उसे प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। इस कोण से देखने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतीक आदेश के किसी भी प्रावधान की ओर से अधिकार की कमी से ग्रस्त है आयोग, जिसने इसे जारी किया है।"

13. प्रतीक आदेश 1968 की संवैधानिक वैधता के संबंध में ऐसी स्थिति का सामना करते हुए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही निर्धारित किया गया है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अस्पष्टता और अपर्याप्तता के कारण प्रतीक आदेश को कानून में खराब माना जाना चाहिए . इस दावे को दोहराने के लिए कि ऊपर बताई गई स्थिति पर विचार नहीं किया गया था कि राजनीतिक दल चुनावों का बहिष्कार करेंगे या चुनाव में भाग लेने से परहेज करेंगे, न्यायालय को प्रतीक आदेश 1968 के प्रावधानों का पूरक होना चाहिए। ऐसी स्थितियों को कवर करने के लिए जहां वैध कारणों से ऐसे राजनीतिक दलों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, उन्हें मान्यता नहीं खोनी चाहिए। हालांकि स्पष्ट रूप से आकर्षक, तर्क बिना किसी सार के है। एके रॉय बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय, एआईआर 1982 एससी 710: (1982 सीआर एलजे 340) ने देखा कि एक क़ानून के प्रावधानों को अस्पष्टता के आधार पर नहीं हटाया जा सकता है- उस स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान विचाराधीन थे। इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था:--

"भारत की रक्षा', 'भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंध, जो अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित हैं, की अवधारणाएं किसी महान निश्चितता या निश्चितता की नहीं हैं। लेकिन बहुत प्रकृति में हैं। उन चीजों की जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। इसलिए अधिनियम के एस 3 के अयस्क प्रावधानों को उनकी अस्पष्टता और अनिश्चितता के आधार पर नहीं हटाया जा सकता है।"

निष्कर्ष

मेसर्स में विधियों की व्याख्या के सामान्य सिद्धांत के संबंध में । गिरधारी लाल एं□ संस बनाम बलबीर नाथ माथुर , एआईआर 1986 एससी 1499। निर्णय के पैरा 9 में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किया गया था:-

"किसी क़ानून की व्याख्या करने में न्यायालय का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधायिका के इरादे का पता लगाना है, वास्तविक या आरोपित। इरादे का पता लगाने के बाद, न्यायालय को क़ानून की व्याख्या करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वस्तु और उद्देश्य को बढ़ावा दिया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, जहां आवश्यक हो, न्यायालय इस नियम से भी हट सकता है कि सादे शब्दों की व्याख्या उनके स्पष्ट अर्थ के अनुसार की जानी चाहिए। भाषा की सरलता के लिए नम्र और मूक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। पेटेंट अन्याय से बचने के लिए , विसंगति या बेतुकापन या किसी कानून के अमान्य होने से बचने के लिए, न्यायालय को निर्माण के तथाकथित सुनहरे नियम से विदा करना उचित होगा ताकि यदि आवश्यक हो तो लिखित शब्द को पूरक करके अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावित किया जा सके। ।"[5]

14. पूर्वोक्त निर्णयों के अनुपात से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय कला के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। संविधान की धारा 226 में संशोधन या क़ानून जोड़कर विधानमं□ल के कार्यों का प्रयोग कर सकता है ऐसा कार्य विधायिका का है न कि न्यायालयों का। न्यायालय केवल एक या दो शब्दों को पूरक कर सकता है जो कि क़ानून की वैधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं जो किसी अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, न्यायालय को क़ानून बनाने या संशोधित करने के लिए विधायी क्षेत्राधिकार के दायरे में जाने की कोई शक्ति नहीं है। इस संदर्भ में आसिफ हमीद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य , AIR 1989 SC 1899 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। निर्णय के पैरा 17 में यह देखा गया था:

"विधानमं□ल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान के तहत निर्धारित अपने क्षेत्रों के भीतर कार्य करना है। कोई भी अंग दूसरे को सौंपे गए कार्यों को हड़प नहीं सकता है। संविधान इन अंगों के निर्णय पर भरोसा करता है कि वे इसमें निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करके अपने विवेक का प्रयोग करें और काम करें। लोकतंत्र का कामकाज उसके प्रत्येक अंग की ताकत और स्वतंत्रता पर निर्भर करता है।"

निर्णय का□पैरा 19 में आग□निम्न प्रकार स□देखा गया:-

"संविधान न्यायालय को नीति के मामलों में कार्यपालिका को निर्देश देने या सलाह देने की अनुमति नहीं देता है, जो संविधान के तहत विधायिका या कार्यपालिका के दायरे में आता है, बशर्ते ये प्राधिकरण अपनी संवैधानिक सीमाओं या वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन न करें।"

निर्णय का□पैरा 21 में आग□निम्न प्रकार स□देखा गया:-

"संविधान ने विधायिका के लिए कार्य करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है। संविधान के तहत विधायिका अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। यह केवल विधायिका के लिए है कि कब और किस विषय-वस्तु के संबंध में, कानून हैं अधिनियमित किया जाना है। इस संबंध में न्यायालयों द्वारा विधायिका को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।"

याचिकाकर्ताओं का यह स्टैं□ कि इस न्यायालय को चुनाव आयोग को उस राजनीतिक दल की मान्यता रद्द नहीं करने के लिए अधिकृत करने के लिए 1968 के प्रतीक आदेश के पैरा 6 में "अपवाद" या "परंतु" के रूप में प्रावधान करना चाहिए जो भाग लेने में विफल रहा था। आम चुनावों में वैध कारणों से। कानून द्वारा इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं है। प्रतीक आदेश 1968 के पैरा 6 और 7 के प्रावधान मान्य हैं जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही बरकरार रखा है। वे किसी भी अपर्याप्तता के कारण खराब नहीं हैं।

15. किसी राजनीतिक दल को इस रूप में मान्यता दिए जाने का अधिकार, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, संविधि का निर्माण है। ऐसा अधिकार केवल संविधि में प्रदान की गई आवश्यकताओं की पूर्ति पर प्रदान किया जाता है अर्थात जैसा कि 1968 के प्रतीक आदेश के पैरा 6(ए) या (बी) के तहत प्रदान

किया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी राजनीतिक दल की मान्यता या मान्यता रद्द की जानी चाहिए। अधिनियम द्वारा निर्धारित चार कोनों या सीमाओं के भीतर। इस संबंध में एनपी पोन्नुस्वामी बनाम राहत अधिकारी, नामखाल निर्वाचन क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है ।, एआईआर 1952 एससी 64. मतदान के अधिकार या चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होने पर टिप्पणी करते हुए यह देखा गया कि यह एक नागरिक अधिकार नहीं था बल्कि क़ानून या विशेष कानून का एक प्राणी है और इसके द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन होना चाहिए। फैसले के पैरा 18 में आगे कहा गया है:-

"सख्ती से बोलते हुए, यह विधायिका का एकमात्र अधिकार है 10 अपने स्वयं के सदस्यों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों की जांच और निर्धारण करता है, और यदि विधायिका इसे अपने हाथों से लेती है और एक विशेष न्यायाधिकरण में एक पूरी तरह से नया और अज्ञात अधिकार क्षेत्र निहित करती है , उस विशेष क्षेत्राधिकार का प्रयोग उस कानून के अनुसार किया जाना चाहिए जो इसे बनाता है।"

16. क्रियात्मक तथ्य कि अपेक्षित न्यूनतम मानक 1968 के प्रतीक आदेश के पैरा 6(ए) या (बी) में निर्धारित किया गया था, यह दर्शाता है कि यदि कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चुनावों में कोई वोट या कोई सीट हासिल नहीं करेगा, तो यह होगा मान्यता रद्द हो।

17. न तो आयोग के लिए और न ही उस प्रयोजन के लिए न्यायालय के लिए, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के किसी सदस्य के निर्वाचित न होने या किसी वोट को सुरक्षित न कराने के कारणों की वास्तविकता, युक्तिसंगतता या पर्याप्तता में जाना या निर्धारित करना आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में प्रतीक आदेश के पैरा 6 (ए) या (बी) के तहत प्रदान किए गए अनुसार ऐसे राजनीतिक दल का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं है। आयोग को यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी राजनीतिक दल को मान्यता दी जानी है या गैर-मान्यता प्राप्त है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए विधानसभा के आम चुनावों के अस्तित्व और कामकाज के परिणाम को ध्यान में रखना था। यह गणितीय गणना का मामला था। ऐसी स्थिति में विवेक का तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित था।

18. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे जोर देकर कहा कि प्रतीक आदेश, 1968 के पैरा 6 में प्रावधान, कि आम चुनावों में प्रदर्शन को केवल राजनीतिक दलों की मान्यता के उद्देश्य से देखा जाना था, मनमाना और अनुचित है। उनके अनुसार एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी जारी रहती है। राज्य या संसद में विवादित आम चुनावों से ठीक पहले हुए चुनावों में याचिकाकर्ता-राजनीतिक दलों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जा सकता है। यह सहमति योग्यता से रहित है और कानून द्वारा समर्थित नहीं है। ऊपर दिए गए पैरा 6 (ए) और (बी) को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि यह विधानसभा के मौजूदा और कामकाज के आम चुनावों का पहला प्रदर्शन है जो आवश्यक है, राजनीतिक दलों की मान्यता के प्रयोजनों के लिए विचार किया जाना। उपरोक्त पैरा 6 में "अगर और केवल अगर" और "अन्यथा नहीं" शब्द कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि आदेश तैयार करने वाले प्राधिकारी का इरादा यह था कि आम चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन को ही देखा जाना है। अन्यथा भी यह प्रावधान मनमानी या अस्वस्थता का आभास नहीं देता है। यह अन्यथा अवास्तविक होगा यदि प्रत्येक चुनाव आम या अलविदा के बाद, ऐसा अभ्यास किया जाता है। मान्यता प्राप्त दल उथल-पुथल और अनिश्चितता की स्थिति में रहेंगे यदि हर कुछ महीनों या वर्षों के बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की स्थिति में संशोधन किया जाता है।

19. याचिकाकर्ताओं के साथ कोई अन्याय नहीं, बल्कि गंभीर नहीं है कि वह कला के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करे। ऐसे ही मामलों में संविधान के 226 . चुनाव आयोग द्वारा 1968 के प्रतीक आदेश के पैरा 6 (ए) और (बी) में उल्लिखित मामलों के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, कोई न्यायिक प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। इन याचिकाओं में दबाया गया एक ऐसा आधार नहीं है कि चुनाव को रद्द किया जा सकता है और यह कड़ाई से नहीं कहा जा सकता है कि पराजित उम्मीदवारों या याचिकाकर्ता-राजनीतिक दलों के लिए चुनाव याचिका का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होगा। जिन आधारों पर चुनाव रद्द किया जा सकता है, वे S. 100 . में दिए गए हैंजनप्रतिनिधित्व कानून के तहत। जैसा भी हो, कला के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। संविधान के 226 के रूप में याचिकाकर्ता-राजनीतिक दलों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने और चुनावों, आम या अन्य, संसद या विधानसभाओं या अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाता है।

20. मामले का एक और कोण है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के एस 79 (□ी)चुनावी अधिकार को परिभाषित करता है कि किसी व्यक्ति के खड़े होने या न खड़े होने का अधिकार, उम्मीदवार होने से पीछे हटने या न हटने या वोट देने या किसी भी चुनाव में मतदान से परहेज करने का अधिकार। इस प्रकार किसी को भी मतदान करने या न करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसी तरह किसी को भी चुनाव लड़ने या न करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह से संबंधित व्यक्ति की मधुर इच्छा और विवेक है कि उसे कोई चुनाव लड़ना है या नहीं। इसी तरह यह पूरी तरह से संबंधित राजनीतिक दल के लिए है कि वह किसी भी चुनाव में भाग लेने या न लेने का फैसला करे। इस तरह के निर्णय या तो कार्रवाई या निष्क्रियता या अन्यथा को न्यायोचित ठहराने के लिए न्यायालयों द्वारा जांच का विषय नहीं हो सकते हैं। चुनाव की वैधता ऐसे कार्यों या निष्क्रियता पर निर्भर नहीं है। भारत के चुनाव आयोग बनाम शिवाजी में सर्वोच्च न्यायालय, एआईआर 1988 एससी 61, निर्णय के पैरा 6 में निम्नानुसार देखा गया है: -

"संविधान के अनुच्छेद 329 में निहित गैर-अवरोधक खं□ के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी आधार पर चुनाव पर सवाल उठाने वाली याचिका पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति छीन ली गई है।"

एनपी पोन्नुस्वामी के मामले (सुप्रा) में निर्णय को उसमें संदर्भित किया गया था।

21. यहां तक कि किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने पर भी चुनाव में भाग लेने सहित राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के उसके अधिकारों पर कोई बंधन नहीं रखा जाता है। मान्यता रद्द करने का एकमात्र प्रभाव यह है कि भविष्य के चुनाव में प्रतीकों के चुनाव के मामले में अनारक्षित प्रतीकों से बाहर होगा। दूसरे शब्दों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित प्रतीक इसकी मान्यता समाप्त होने के बाद उपलब्ध नहीं होंगे। हालांकि, गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जैसे राजनीतिक दल नए प्रतीकों का चुनाव कर सकते हैं और ऐसे राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ऐसे प्रतीकों के आवंटन के हकदार होंगे। अन्य उम्मीदवारों के पास निश्चित रूप से शेष अन्य प्रतीकों में से विकल्प होगा। ऐसे राजनीतिक दल के उम्मीदवार के चुनाव लड़ने का अधिकार इस प्रकार किसी राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त करने से नहीं छीना जाता है।

22. समाप्त करने के लिए, प्रतीक आदेश | 1968 में वर्तमान मामले में पेश की गई स्थितियों जैसे चुनावों का बहिष्कार करने जैसी स्थितियों को शामिल करने के लिए व्यापक है क्योंकि ऐसे मामले प्रदर्शन के होंगे जिसके परिणामस्वरूप शून्य परिणाम होंगे और ऐसे राजनीतिक दल प्रतीक आदेश के पैरा 6 के तहत गैर-मान्यता प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे, 1968. पूर्वोक्त आदेश में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है और चुनाव आयोग को उसमें संशोधन करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है। जिस आधार पर एक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेने या न करने का फैसला करता है, वह चुनाव आयोग के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष, किसी भी चुनाव याचिका में या कला के तहत एक याचिका में उचित नहीं है। संविधान के 226 और 227। यह पूरी तरह से संबंधित व्यक्ति या संबंधित राजनीतिक दल के लिए मतदान करने या चुनाव में भाग लेने के लिए है। इसके साथ कोई बाध्यता नहीं जुड़ी है और न ही किसी को जोड़ा जा सकता है। किसी भी कारण से राजनीतिक दलों द्वारा गैर-भागीदारी, मान्यता रद्द करने की अयोग्यता अर्जित करेगी। ऊपर उल्लिखित दो मामलों में याचिकाकर्ता-राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने वाले आदेश वैध और कानून के अनुसार हैं।

23. शिरोमणि अकाली दल (बादल समूह) द्वारा दायर याचिका में एक अन्य प्रश्न पर बहस की गई है कि चुनाव आयोग द्वारा पारित आदेश शून्य है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के आधार पर रद्द किया जा सकता है। जहां तक आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले याचिकाकर्ता को नोटिस के साथ विधिवत तामील नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि याचिकाकर्ता को बिना किसी नोटिस के पारित किया गया ऐसा आदेश प्रारंभ से ही अमान्य होगा और इस तर्क के समर्थन में प्रकाश सिंह बादल में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के अवलोकन का संदर्भ दिया गया है। भारत संघ, एआईआर 1987 पी एंड एच 263। यह मामला अकाली दल विधायक दल के बंटवारे से जुड़ा है। एक ब्रेकवे अकाली दल विधायक दल का गठन किया गया था जिसे अध्यक्ष ने मान्यता दी थी। उनके उत्तराधिकारी ने मूल अकाली दल पार्टी के कहने पर पार्टी के अलग समूह के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का मामला उठाया। इस सन्दर्भ में निर्णय के पैरा 40 में निम्नानुसार देखा गया:-

"आदेश पारित करने से पहले, ब्रेकवे समूह को अलग पार्टी के रूप में मान्यता देते हुए, न तो राजनीतिक दल और न ही इस मामले में रुचि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सुना गया था, यह किसी को भी बाध्य नहीं करेगा और इस अर्थ में इसे शुरू से ही एक आदेश कहा जा सकता है। "

24. तर्क-वितर्क के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि यदि यह पाया जाता है कि आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले याचिकाकर्ता को सेवा नहीं दी गई थी या ठीक से सेवा नहीं दी गई थी, तो दो पाठ्यक्रम खुले हो सकते हैं; एक याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकारी से एकपक्षीय आदेश को अलग करने के उपाय के लिए आरोपित करना था और दूसरा यह इस न्यायालय द्वारा ऊपर बताए गए आधार के प्रमाण पर उस आधार पर आदेश को रद्द करना था और चुनाव आयोग को निर्देश देना था। कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर उचित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ें। इन दोनों पाठ्यक्रमों को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं माना जाता है। चूंकि दो मामलों को विवादित प्रश्न के निर्णय के लिए पूर्ण पीठ को भेजा गया था, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय से उसी का उत्तर देने की अपेक्षा की गई थी और उपरोक्त के रूप में उत्तर देने के बाद हमारी राय है कि याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के निर्देश के साथ मामले को चुनाव आयोग को वापस भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। या एकतरफा आदेश को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता को सीधे चुनाव आयोग से संपर्क करने का निर्देश देने के लिए इसे अलग किए बिना। इस न्यायालय द्वारा कानून के प्रश्न के निर्णय के बाद, चुनाव आयोग को उसी का पालन करना होगा और उसके अनुसार आदेश पारित करने के लिए पार्टियों की सेवा के बाद। इस प्रकार चुनाव आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता की सेवा या उचित सेवा के तथ्य के विवादित प्रश्न के संबंध में कोई और टिप्पणी नहीं की जाती है। इस न्यायालय द्वारा कानून के प्रश्न के निर्णय के बाद, चुनाव आयोग को उसी का पालन करना होगा और उसके अनुसार आदेश पारित करने के लिए पार्टियों की सेवा के बाद। इस प्रकार चुनाव आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता की सेवा या उचित सेवा के तथ्य के विवादित प्रश्न के संबंध में कोई और टिप्पणी नहीं की जाती है। इस न्यायालय द्वारा कानून के प्रश्न के निर्णय के बाद, चुनाव आयोग को उसी का पालन करना होगा और उसके अनुसार आदेश पारित करने के लिए पार्टियों की सेवा के बाद। इस प्रकार चुनाव आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता की सेवा या उचित सेवा के तथ्य के विवादित प्रश्न के संबंध में कोई और टिप्पणी नहीं की जाती है।[6]

संदर्भ

[1] Singh, Pritam (2008). Federalism, Nationalism and Development: India and the Punjab Economy. London; New York: Routledge. पृ॰ 3. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-415-45666-5. मूल से 30 अप्रैल 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 जनवरी 2015.

[2] "Guru Nanak Jayanti [Hindi]: गुरुनानक जयंती पर जानिए नानक जी को गहराई से". S A NEWS (अंग्रेज़ी में).

[3] "पंजाब का इतिहास | भारतकोश". m.bharatdiscovery.org.

[4] "क्या आपको पता है भारत-पाक बंटवारे की ये सच्चाई, सिर चकरा जाएगा आपका..!". News18 India.

[5] "क्या आपको पता है भारत-पाक बंटवारे की ये सच्चाई, सिर चकरा जाएगा आपका..!". News18 India.

[6] "पंजाब के शहर- GK in Hindi - सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स". hindi.gktoday.in.